न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **227/11 (वाद)**

GCMS No. : 2011/00132

उनवान

1. श्रीमती मुन्नी उर्फ मन्जु पिता मोहन लाल जी पत्नी परसराम जी बडगुर्जर, आयु– वयस्क, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज)

.....वादीया

बनाम

1. श्रीमती कल्लु बाई उर्फ कलावती पिता मोहन लाल जी पत्नी बटुसिंह बडगुर्जर, आयु–वयस्क, निवासी– गोपालगढ़, जगीना गेट, भरतपुर, जिला भरतपुर (राजः)
2. श्री रतन दास पिता शंकर दास जी वैरागी, आयु वयस्क, निवासी केसुली, तहसील–नाथद्वारा, जिला– राजसमन्द (राजः)
3. श्रीमती जमनादेवी पत्नी श्याम सुन्दर जी गुर्जर, आयु– वयस्क, निवासी– मावली, तहसील– मावली, जिला– उदयपुर (राजः)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तहसील– मावली, जिला– उदयपुर (राजः)
5. पटवारी, पटवार हल्का मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राजः)
6. श्री लोगर लाल पिता कुका जी, जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी– मनवाखेडा, तहसील– गिर्वा, जिला– उदयपुर (राजः)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री घनश्याम पालीवाल, अधिवक्ता वादीया।

2. श्री कल्याण सिंह राव, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 6 ।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 23.03.2026

1. वादीया द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मावली, पटवार हल्का मावली, तह. मावली, जिला उदयपुर (राज) के आराजी नम्बर 2173, 2469, 2470, 2471, 2171, 2172, 2174 किता 7 कुल रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा भूमि वर्तमान में मुझ वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज है।
2. यह कि मुझ वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:59:01 IST
Reason: SelfAttested

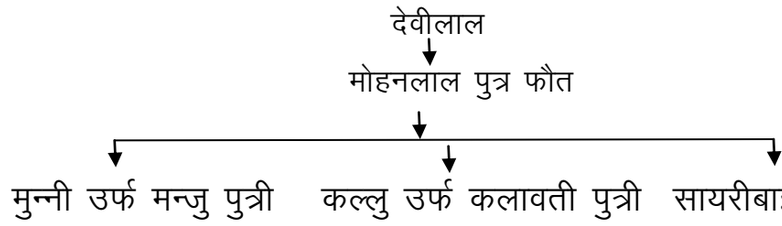

यह कि उक्त वर्णित आराजीयात मुझ वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक सम्पत्ति है। उक्त कृषि भुमि हमें विरासत से प्राप्त हुई है उक्त कृषि भुमि मुझ वादिया एवं प्रतिवादी सं. 1 के दादाजी श्री देवीलाल जी से प्राप्त हुई है पुर्व में उक्त वर्णित आराजीयात मुझ वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 के दादाजी श्री देवीलाल जी के नाम पर दर्ज थी तथा उनके जीवन काल में ही मुझ वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 के पिता श्री मोहन लाल जी का देहावसान हो गया तथा हमारे दादाजी श्री देवीलाल जी की मृत्यु उपरान्त श्री देवीलाल जी के मैं वादिया एवं प्रतिवादी सं. 1 एवं हमारी माताजी श्रीमती सायरी बाई बेवा श्री मोहन लाल जी ही उनके विधिक वारीस होने के नाते उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात हमारे नाम पर दर्ज की गई तथा मुझ वादिया एवं प्रतिवादी सं. 1 की माताजी की मृत्यु उपरान्त उनके बजाय मुझ वादिया एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज की गई तथा प्रतिवादी सं. 1 ने अपना हिस्सा अलग–अलग प्रतिवादी सं. 2 एवं 3 को विक्रय कर दिया है जो कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। एवं प्रतिवादी सं. 2 ने अपने नाम दर्ज भुमि प्रतिवादी सं 6 को विक्रय कर दी जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। उक्त वर्णित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व अधिकारीयो से मिलिभगत कर मुझ वादीया के नाम राजस्व रेकर्ड में कम हिस्सा दर्ज करवाया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम हिस्से से अधिक कृषि भुमि दर्ज करवा ली एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 को बेच दी तथा प्रतिवादी सं. 2 ने अपने नाम दर्ज भुमि प्रतिवादी सं. 6 को बेच दी जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। जबकी में वादीया देवीलाल जी की विधिक वारीस होने से वाद पत्र की उक्त वर्णित पैतृक कृषि भुमि में अपना नाम 1/2 हिस्से में दर्ज कराने की अधिकारी हूँ एवं मुझ वादिया का उक्त कृषि आराजीयात पर 20 से अधिक वर्षों से निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है इस आधार पर भी मैं वादियां खातेदार काश्तकार घोषित होने की अधिकारी हो गई हूँ।

3. यह कि मुझ वादीया का प्रार्ईमाफेसी कैस है क्योंकि उक्त वर्णित कृषि भुमि हमारी पैतृक कृषि भुमि है जिसमें मुझ वादी को जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:59:01 IST
Reason: SelfAttested

गया है एवं मैं वादिया अपने हिस्से पर 20 से अधिक वर्षों से काबिज हो कृषि आराजीयात का उपयोग उपभोग कर रही हूँ तथा अपने माँ के हिस्से की कृषि आराजियात का भी उनके जीवन काल से ही मैं वादिया ही देखरेख व उपयोग उपभोग कर रही हूँ। लेकिन प्रतिवादी सं. 1 ने राजस्व अधिकारियों से मिलिभगत कर उक्त पैतृक कृषि भुमि में अपने हिस्से से अधिक हिस्से को अपने नाम पर दर्ज करा दिया है जबकी मैं वादिया स्व. देवीलाल जी की वारीस हुँ। लेकिन उक्त पैतृक कृषि भुमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर ज्यादा दर्ज हो जाने से वह मुझ वादिया को अपने हिस्से से वंचित रखना चाहती है। 2171 की पुरी आराजीयात पर मुझ वादिया का 20 से अधिक वर्षों से निरन्तर कब्जा है एवं बिना किसी बाधा के लगातार उपयोग उपभोग कर रही हूँ। एडवर्स पजेशन के आधार पर मुझ वादिया को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए है। इसलिये मैं वादिया प्रतिवादि सं. 1 से 3 एवं प्रतिवादी सं. 6 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूँ कि मुझ वादीया के अपने हिस्से की 1/2 कृषि आराजी अन्य को विक्रय नहीं करें व हिस्से अनुसार 1/2 हिस्सा बंटवाड़ा कर मेरे नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करा मुझ वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है। बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ वादीयां को भारी क्षति होगी उसका मुल्यांकन रूपयों पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दु भी वादीया के पक्ष में है।

4. यह कि मुझ वादीया को उक्त बात की जानकरी हाल ही अपने खाते की नकल निकलवाने से हुई की मेरी बहिन प्रतिवादी सं. 1 ने अपने नाम पर हिस्से से अधिक कृषि आराजी का अंकन करवा लिया है। अतः वाद कारण मुझे जानकारी होने से दिनांक 04.07.2011 को उत्पन्न हुआ है।

5. अंत में निवेदन किया की वादीया के पक्ष में प्रतिवादिगण के विरूद्ध निम्न आशय की घोषणा की डिक्री जारी फरमाई जावें उक्त वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी सं. 1 के साथ ही मुझ वादीयां का नाम 1/2 हिस्सा भुमि मुझ वादीया को हिस्से अनुसार भुमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर मुझ वादिया का नाम राजस्व [illegible] जमाबन्दी में स्वतन्त्र रूप से अंकन कराया जायें एवं लगान मुझ वादीयां का पृथक से निर्धारित किया जावें एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Shivi Punadia
Date: 2026.04.16 15:59:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 6 के नाम से मुझ वादीयां का 1/2 हिस्सा निरस्त किया जावें एवं उनके नाम प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा ही दर्ज किया जावें। आराजी नं. 2171 में एडवर्स पजेशन के आधार पर मुझ वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। वादीया के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें की प्रतिवादिगण उक्त वर्णित आराजीयात मे वादी को अपने हिस्से अनुसार शांति पूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवे, तथा न ही रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरीत करें इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करें न ही अपने नौकर, चाकर, एजेन्ट इत्यादि से हि करावें, राजस्व रेकर्ड को यथा स्थिति बनायें रखें।

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 4, 5 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा। प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त वर्णित कृषि भूमि आराजीयात मौजा मावली, पटवार हल्का मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) में स्थित हो वादीयां एवं प्रतिवादी 2 व 3 के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अंकन होना स्वीकार है। प्रतिवादी सं. 2 ने आराजी नं. 2173 रकबा 8 बिस्वा, 2470 रकबा 4 बिस्वा, 2471 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा सम्पूर्ण एवं आराजी नं 2171 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा का 1/2 हिस्सा को मुझ प्रतिवादी के पक्ष में दिनांक 11.07.2011 को पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित कर उक्त भूमि को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया है तभी से मैं प्रतिवादी इस जमीन पर काबिज हो काश्त कर रहा हूँ। उक्त कृषि भूमि पैतृक अवश्य है किन्तु उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली में एक मुकदमा अन्तर्गत धारा 88–90ए–188 राज०टि०एक्ट के तहत श्रीमती नाथी ने वादीया मुन्नी, उसकी बहिन कल्लु व इनकी माता सायरीबाई के खिलाफ पेश किया था जिसके मुकदमा नम्बर 297/89 वाद है, जिसमें पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा हुआ और आपसी राजीनामा अनुसार न्यायालय द्वारा डिक्री जारी कर बंटवाड़ा करने के आदेश दिये और उसी अनुसार राजस्व अधिकारियों ने उक्त भूमि का विधि अनुसार बंटवाड़ा कर [illegible] खाते में भूमि दर्ज कर दी जो इस प्रकार है की सायरबाई को [illegible] 2171 रकबा 1 बीघा 10

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:59:01 IST
Reason: SelfAttested

बिस्वा, वादीया मुन्नी उर्फ मन्जु के हिस्से में आ.नं. 2172 रकबा 19 बिस्वा, 2170 रकबा 10 बिस्वा, 2174 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा आयी। और कल्लू उर्फ कलावती के हिस्से में आ.नं. 2470 रकबा 4 बिस्वा, 2469 रकबा 16 बिस्वा, 2173 रकबा 8 बिस्वा, 2471 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि आयी। प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर उसके हिस्सेनुसार भूमि स्वतन्त्र खाते में अंकित होने से उसे अपने हिस्से की जमीन को बेचने का पूरा अधिकार था और उसी अधिकार के तहत प्रतिवादी सं. 1 ने अपने नाम दर्ज भूनि को प्रतिवादी सं. 2 को विक्रय कर कब्जा सौंपा दिया और प्रतिवादी सं. 2 ने मुझ प्रतिवादी को बेचकर भूमि का आधिपत्य सिपुर्द कर दिया तब से मैं खरीददार अपनी जमीन पर काबिज हो काश्त कर रहा हूँ। प्रतिवादी सं. 1 ने राजस्व अधिकारियों से किसी तरह की मिलीभगत नहीं की है और न ही वादीया के हिस्से में जमीन कम अंकित हुई है और न ही प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में ज्यादा जमीन आयी है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के समक्ष जो राजीनामा पक्षकारान के मध्य हुआ था उसी अनुसार न्यायालय ने दिनांक 05.12.1990 को डिक्री जारी कर बंटवाड़ा के आदेश दिये है जिसकी वादीयां को भलीभांति जानकारी है। यदि वादीयां के हिस्से में कम जमीन आ रही थी तो वादीयां स्वयं उस समय बंटवाड़े में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकती थी लेकिन वादीयां ने कोई आपत्ति दर्ज नही कराई थी जिससे स्पष्ट है कि वादीयां के हिस्से में बंटवाडे अनुसार पर्याप्त जमीन आयी है। प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से की जमीन पर कभी वादीयां का कोई कब्जा अधिकार नही रहा है। वादीयां ने सभी कथन मिथ्या अंकित किये है। वादीया ने सारे कथन मिथ्या अंकित किये है। वादीया का कोई प्राइमाफैसी केस नहीं है। वादीया का कभी भी सम्पूर्ण जमीन पर कोई कब्जा नही रहा है। प्रतिवादी सं. 1 को अपने हिस्से की कृषि भूमि को अपनी ईच्छानुसार उपयोग उपभोग एवं हस्तान्तरण करने का पूर्ण हक व अधिकार प्राप्त था और इसी के तहत प्रतिवादी सं. 1 ने अपने हक हिस्से को विक्रय किया है प्रतिवादी सं. 1 ने अपने हिस्से की जमीन जो प्रतिवादी सं. 2 को बेची उस पर पहले प्रतिवादी सं. 1 का कब्जा था और उसके बाद प्रतिवादी सं. 2 का चला आ रहा था और प्रतिवादी सं. 2 ने अपनी खरीदशुदा जमीन को मुझ प्रतिवादी को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया है तब से कब्जा मुझ प्रतिवादी का आज दिवस तक निरन्तर चला

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Girvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:59:01 IST
Reason: SelfAttested

आ रहा है। वादीयां का वादगत भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। सुविधा सन्तुलन व अशोधनीय क्षति के बिन्दू भी वादीयां के पक्ष में नहीं है और न ही वादीया मेरे खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी है। वादीया को बंटवाड़े की जानकारी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की दिनांक से है क्योकि स्वयं वादीया उस वाद में पक्षकार थी और उसने राजीनामा में अपने हस्ताक्षर किये है। इसलिये वादीयां को मेरे विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है। प्रतिवादी सं. 4 व 5 एक लोक सेवक है एवं लोक सेवक के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व नियमानुसार धारा 80 जा०दी० का नोटिस दिया जाना आवश्यक है जबकि वादीया ने न तो नोटिस दिया है न ही नोटिस की छूट का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से आज्ञा ली है। जिसके अभाव में वाद चलने योग्य नहीं है। वादीया ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा दिनांक 05.12.1990 को पारित डिक्री व निर्णय को जानबुझकर माननीय न्यायालय से छुपाया है जबकि वादीयां स्वयं उस प्रकरण में पक्षकार थी और स्वयं वादीयां ने जिस प्रार्थना पत्र के आधार पर बंटवाड़ा हुआ है उसपर अपने हस्ताक्षर किये है लेकिन वादीयां द्वारा माननीय न्यायालय को अंधेरे में रखकर मनमाफिक अनुतोष प्राप्त करना मन्शा से उक्त तथ्यों का अंकन नही किया है। इस आधार पर भी वादीयां का वाद चलने योग्य नहीं है। अंत में निवेदन किया की वादीया का वाद गलत एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

7. वादीया द्वारा जवाब उल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रतिवादी सं. 6 ने अपने जवाब दावें की कलम सं. 3 में जिस मुकदमें का वर्णन किया है जिसका राजीनामें से डिक्री होना बताया है वो अस्वीकार है वादीया को ऐसे किसी भी मुकदमें की जानकारी नहीं है वादीया के विरूद्ध वल्लभनगर में पुर्व में एक मुकदमा चला था जिसमें वादीया ने राजीनामा कर केवल जमनादेवी पत्नि श्यामसुन्दर के पक्ष में उसके द्वारा क्रय कि हुई आराजीयात को उसके नाम पर दर्ज करने के लिये प्रस्तुत किया था इसके अलावा कोई मुकदमा या डिक्री वादीया की जानकारी में नहीं है और इस तरह की कोई डिक्री पारित भी हुई है तो वो मुझ वादीया के खिलाफ शुन्य प्रभावी है। प्रतिवादी सं. 6 ने अपने जवाब दावा की कलम सं. 8 में [illegible] से प्रतिवादी सं. 4 व 5 को धारा 80 जा०दी० के त[illegible] आवश्यक बताया है परन्तु चूंकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Shiv Punadia
Date: 2026.04.16 15:59:01 IST
Reason: SelfAttested

मुझ वादीयां का वाद प्रतिवादी सं. 1 से 3 व 6 के विरूद्ध है और प्रतिवादी सं. 4 व 5 आवश्यक पक्षकार है इसलिये पक्षकार बनाया है जिससे की प्रतिवादी सं. 4 व 5 को धारा 80 जा०दी० का नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है। एवं प्रतिवादी सं. 6 ने अपने विशेष कथन की कलम सं. 1 में भी यही एतराज उठाया है जो चलने योग्य नहीं है। वादिया को केवल एक ही दावें की जानकारी है जिसमें उसने जमनादेवी पत्नि श्याम सुन्दर जी के पक्ष में उसके हिस्से की जमीन को खाते किये जाने का राजीनामा किया था इसके अलावा कोई मुकदमा या डिक्री की जानकारी वादीयां को नहीं है। अंत में निवेदन किया कि वादीया की ओर से प्रस्तुत जवाब उल जवाब रेकर्ड पर लिया जावें।

8. प्रकरण में न्याय निर्णय हेतु वाद एवं जवाब दावा के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

   1. आया वादी वादग्रस्त भूमि वादीया व प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक भूमि है एवं पैतृक भूमि होने से वादग्रस्त भूमि वादीया व प्रतिवादी स. 1 के नाम 1/2 हिस्सा अनुसार दर्ज होनी चाहिये जो नहीं हुई। इसलिये वादीया अपने नाम 1/2 हिस्सा की घोषणा कराने की अधिकारी है। ....वादीया
   2. आया वादी वादग्रस्त भूमि उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के प्रकरण सं. 297/89 वाद में आपसी राजीनामा अनुसार दिनांक 5.12.1990 को जारी डिक्री अनुसार भूमि आपसी बंटवाडे के आधार पर दर्ज हुई है। भूमि रजिस्टर्ड विकय पत्र के क्रय की है। वादीया कोई दाद प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। ....प्रतिवादी सं. 6
   3. अनुतोष ।

9. प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यवादी गवाह पीडब्ल्यू 1 स्वयं वादीया मुन्नी उर्फ मन्जु पिता मोहनलाल पत्नी परसराम बड़गुर्जर निवासी मावली, गवाह पीडब्ल्यू 2 श्री चुन्नीलाल पिता बाबरू गमेती निवासी हीरोला, गवाह पीडब्ल्यू 3 श्री गोपाल पिता रामचन्द्र गुर्जर निवासी मावली के शपथ पत्र पेश किए गए। गवाह पीडब्ल्यू 1 वादीया मुन्नी उर्फ मन्जु पिता मोहनलाल पत्नी परसराम बड़गुर्जर द्वारा दस्तावेज असल जमाबंदी प्रदर्श 1, असल जमाबंदी आराजी संख्या 2172, 2174 प्रदर्श 2, सेटलमेंट जमाबंदी संवत 2038 प्रदर्श 3, सेटलमेंट जमाबन्दी संवत 2038 प्रदर्श 4, जमाबंदी आराजी संख्या 2173, 2469, 2470, 2471 प्रदर्श 5, कार्यालय तहसीलदार मावली के पत्रांक 569

Signature Not Verified
Digitally signed by Ra[illegible] Punadia
Date: 2026.04.16 16:59:01 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 01.06.2020 की प्रमाणित प्रदर्श 6 करवाए गए। जिरह अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा की गई। साक्ष्यवादी के और गवाह उपस्थित नही होने से साक्ष्यवादी बंद कर साक्ष्यप्रतिवादी में नियत की गई। साक्ष्यप्रतिवादी गवाह डी. डब्ल्यू 1 लोगरलाल पिता कुका डांगी निवासी मनवाखेड़ा द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया। दस्तावेज उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 397/87 वाद की आदेशिका/निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए 1 करवाए गए। जिरह अधिवक्ता वादीया द्वारा की गई।

10. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस दावा सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस वाद पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा दौराने बहस वाद पत्र के जवाब के तथ्यो को दौहराते हुए वादीया का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया।

11. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में तनकीवार विश्लेषण निम्न प्रकार हैं :–

1. आया वादी वादग्रस्त भूमि वादीया व प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक भूमि है एवं पैतृक भूमि होने से वादग्रस्त भूमि वादीया व प्रतिवादी स. 1 के नाम 1/2 हिस्सा अनुसार दर्ज होनी चाहिये जो नहीं हुई। इसलिये वादीया अपने नाम 1/2 हिस्सा की घोषणा कराने की अधिकारी है।

   उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीया पर रहा। वादीया द्वारा उक्त तनकी को साबित करवाने हेतु प्रदर्श 1 से 5 करवाए गए। न्यायालय द्वारा सभी दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। जिससे जाहीर आया की प्रदर्श 3 ग्राम मावली के भू–प्रबंध विभाग का खतौनी बन्दोबस्त संवत 2038 के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर 2174, 2469, 2470 वादीया के दादा देवीलाल पिता गिरवर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इसी प्रकार प्रदर्श 4 ग्राम मावली के भू–प्रबंध विभाग का खतौनी बन्दोबस्त संवत 2038 के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर 2168, 2171, 2172, 2173, 2175, 2471 वादीया के दादा देवीलाल पिता गिरवर एवं पिता मोहन पिता देवीलाल के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। तत्पश्चात वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादीया द्वारा प्रदर्श 1, 2, 5 ग्राम मावली की नकल जमाबंदी संवत 2064–67 प्रस्तुत की गई। जिनमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2026.04.16 15:59:01 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त भूमि वादीया, वादीया की बहन मुन्नी उर्फ मन्जु, वादीया की माता सायरीबाई के नाम दर्ज होना प्रतीत होती है।

वादीया द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपने पिता एवं दादा के नाम दर्ज खतौनी बन्दोबस्त प्रस्तुत की गई। परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह जाहीर आता हो की वादीया के पिता के निधन के पश्चात वादग्रस्त भूमि किस आदेश से वादीया, वादीया की बहन एवं माता के नाम दर्ज हुई तथा किस आदेश से वादग्रस्त भूमि पृथक पृथक दर्ज हुई। ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया। जबकि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श ए1 उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 297/87 वाद की आदेशिका 18.12.90 का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से जाहीर आया की नाथीबाई, सायरबाई, मुन्नीदेवी एवं कलावती देवी द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभगनर द्वारा राजीनामे अनुसार विभाजन की संशोधित डिक्री जारी की गई। इसी आदेश से वादग्रस्त भूमि का विभाजन हुआ। उसके बाद भी वादीया द्वारा यह कथन करते हुए की उसकी पैतृक भूमि में उसके नाम कम भूमि दर्ज की गई है। इसलिए खातेदारी अधिकारो की घोषणा की जावे।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर में राजीनामे के आधार पर बंटवाड़ा करवाकर डिक्री किया गया है। जिसकी आदेशिका में वादीया का नाम भी अंकित है। डिक्री अनुसार वादीया का हिस्सा पृथक हुआ है। उसके पश्चात वादीया द्वारा पूर्व के वाद के तथ्य को छुपाते हुए 21 वर्ष बाद पुनः वाद प्रस्तुत किया जो की उचित नही है। वादीया को यदि भूमि कम दी गई तो इसके लिए वादीया को समक्ष न्यायालय में पूर्व के वाद की अपील करनी चाहिए। परन्तु वादी द्वारा ऐसा नही कर घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया। जो पूर्व न्याय के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 से बाधित है तथा प्रकरण में रेसज्युडिकेटा लागू होता है।

न्यायालय का यह भी मानना है कि वादीया द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभगनर में प्रस्तुत राजीनामें में वादग्रस्त भूमि में अपना हिस्सा स्वीकार करने के पश्चात डिक्री जारी होने के बाद उक्त वाद को प्रस्तुत करना वाद [illegible] विलेख द्वारा विबंधन के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:59:01 IST
Reason: SelfAttested

सिद्धान्त के तहत विधि द्वारा बाधित है। विलेख द्वारा विबंधन के सिद्वान्त में स्पष्ट किया गया है कि किसी व्यक्ति को उसके द्वारा निष्पादित विलेख में वर्णित किसी तथ्य की सत्यता से इनकार करने से रोकता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभगनर में राजीनामें अनुसार डिक्री जारी की गई। उस डिक्री में वर्णित हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में भूमि दर्ज हो गई। उसके पश्चात यह कथन करते हुए वाद प्रस्तुत किया गया है कि उसके नाम भूमि कम दर्ज की गई। ऐसे में वाद वादी वाद विबंधन के कानूनी सिद्धान्त विलेख द्वारा विबंधन के सिद्धान्त के तहत खारिज योग्य है। वादीया को पूर्व में राजीनामे के आधार पर जारी निर्णय पर कोई आपत्ति हो तो उसकी नियमानुसार अपीलीय न्यायालय में अपील करनी चाहिए थी। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी वादीया के विरूद्ध साबित की जाती है।

2. आया वादी वादग्रस्त भूमि उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के प्रकरण सं. 297/89 वाद में अपसी राजीनामा अनुसार दिनांक 5.12.1990 को जारी डिक्री अनुसार भूमि आपसी बंटवाडे के आधार पर दर्ज हुई है। भूमि रजिस्टर्ड विकय पत्र के क्रय की है। वादीया कोई दाद प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या 6 पर है। प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा उक्त तनकी को साबित कराने के लिए दस्तावेज प्रदर्श ए1 उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 297/87 वाद की आदेशिका 18.12.90 प्रस्तुत किया। जिससे स्पष्ट है कि नाथीबाई, सायरबाई, मुन्नीदेवी एवं कलावती देवी द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभगनर द्वारा राजीनामे अनुसार विभाजन की संशोधित डिक्री जारी की गई। इसी आदेश से वादग्रस्त भूमि का विभाजन हुआ। उसके पश्चात वादीया एवं वादीया की बहन कल्लु उर्फ कलावती एवं माता सायरीबाई के नाम वादग्रस्त भूमि पृथक पृथक दर्ज हुई। वादीया स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 1, 2, 5 पर अंकित नोट अनुसार वादीया की माता का निधन हो जाने के पश्चात वादीया की माता के नाम अंकित भूमि वादीया एवं वादीया की बहन कल्लु उर्फ कलावती द्वारा अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 2, 3 को विक्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2026.04.16 15:59:01 IST
Reason: SelfAttested

कर दी। प्रतिवादी संख्या 2 से प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा क्रय की गई। ऐसे में प्रतिवादी संख्या 6 एक सद्भावी क्रेता है। सद्भावी क्रेता के नाम दर्ज भूमि में वादीया घोषणा कराने की अधिकारी नही है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में साबित की जाती है।

उपर्युक्त तनकीवार विश्लेषण अनुसार वादीया अपने जिम्मे की तनकी संख्या 1 साबित कराने में असफल रही एवं प्रतिवादी संख्या 6 अपने जिम्मे की तनकी संख्या 2 साबित कराने में सफल रहा। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 एवं वाद विबंधन के कानूनी सिद्धान्त विलेख द्वारा विबंधन के सिद्धान्त के तहत विधि द्वारा बाधित होने के कारण खारिज योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 एवं वाद विबंधन के कानूनी सिद्धान्त विलेख द्वारा विबंधन के सिद्धान्त के तहत विधि द्वारा बाधित होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:59:01 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती मुन्नी उर्फ मन्जु पिता मोहन लाल जी पत्नी परसराम जी बडगुर्जर, आयु– वयस्क, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज)

.....वादी

बनाम

1. श्रीमती कल्लु बाई उर्फ कलावती पिता मोहन लाल जी पत्नी बटुसिंह बडगुर्जर, आयु–वयस्क, निवासी– गोपालगढ़, जगीना गेट, भरतपुर, जिला भरतपुर (राजः)
2. श्री रतन दास पिता शंकर दास जी वैरागी, आयु वयस्क, निवासी केसुली, तहसील–नाथद्वारा, जिला– राजसमन्द (राजः)
3. श्रीमती जमनादेवी पत्नी श्याम सुन्दर जी गुर्जर, आयु– वयस्क, निवासी– मावली, तहसील– मावली, जिला– उदयपुर (राजः)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तहसील– मावली, जिला– उदयपुर (राजः)
5. पटवारी, पटवार हल्का मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राजः)
6. श्री लोगर लाल पिता कुका जी, जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी– मनवाखेडा, तहसील– गिर्वा, जिला– उदयपुर (राजः)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 227/11 (वाद) GCMS No. – 2011/00132

यह वाद आज वास्ते अंतिम निर्णय हेतु पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. के समक्ष प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है किः–

वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 एवं वाद विबंधन के कानूनी सिद्धान्त विलेख द्वारा विबंधन के सिद्धान्त के तहत विधि द्वारा बाधित होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह आज तारीख 23.03.2026 को न्यायालय से मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:59:01 IST
Reason: SelfAttested